न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम,बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या १२०/२०२१

(सी.एन.आर. नं० यू०पी० बी.एच.०१०००५०५–२०२१)

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी०६२४६,

राज्य **बनाम** नन्दू

अपराध संख्या–३५९/२०२०

धारा–३७६भा०द०सं०

थाना–पयागपुर, जिला बहराइच

आरोप

मैं, अमित कुमार पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो ऐक्ट–प्रथम, बहराइच एतदद्वारा आप अभियुक्त **नन्दू** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक २६.०९.२०२० समय करीब १०.०० बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम नूरपुर, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की पुत्री जो गूंगी बहरी है, के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ३७६ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोप के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १७.०२.२०२१

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १७.०२.२०२१

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट-प्रथम,,बहराइच।</u>

सत्र परीक्षण संख्या १२०/२०२१

राज्य **बनाम** नन्दू

<u>१७-०२-२०२१</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं,इस मत का हूँ कि अभियुक्त नन्दू के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा ३७६ के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये युक्तियुक्त व पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जावे।

पत्रावली दिनांक २६-०२-२०२१ को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या १ व २ पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट-प्रथम,
बहराइच।